ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

सतत् जीविकोपार्जन योजना
एक नई राह

माह – फरवरी 2022 ।। अंक – 07

अन्दर के पृष्ठों में...

शराब का दंश झेल चुकी सोनिया को मिला सहारा
(पृष्ठ – 02)

सतत् जीविकोपार्जन योजना ने बदली रेणु देवी की किस्मत
(पृष्ठ – 03)

एलजीएएफ :
ताकि नई आजीविका के फलीभूत होने तक जलता रहे गरीब दीदी के घर का चूल्हा
(पृष्ठ – 04)

आजीविका गतिविधियों की शुरुआत हेतु वित्त पोषण (एलआईएफ)

सतत् जीविकोपार्जन योजना का मुख्य उद्देश्य अत्यंत गरीब लक्षित परिवारों को स्थायी आजीविका एवं आय की विभिन्न गतिविधियों से जोड़ना है। आजीविका संबंधी गतिविधियों की शुरुआत हेतु वित्त पोषण जरूरी है। योजना के तहत ग्राम संगठन के माध्यम से लक्षित परिवारों को आजीविका गतिविधियों की शुरुआत करने और उद्यम विकास हेतु विभिन्न किस्तों में अलग–अलग निधि के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। परियोजना की ओर से किए जाने वाले वित्त पोषण को निम्न चरणों के आधार पर समझा जा सकता है।

जीविकोपार्जन सूक्ष्म नियोजन एवं व्यवसाय का चुनाव: सतत् जीविकोपार्जन योजना हेतु लाभार्थियों की पहचान हो जाने के बाद एमआरपी के द्वारा चयनित लाभार्थी का जीविकोपार्जन सूक्ष्म नियोजन किया जाता है। सूक्ष्म नियोजन में परिवार के पास उपलब्ध संसाधन, योग्यता, इच्छा एवं स्थानीय आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म नियोजन के आधार पर इन परिवारों को विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधियों यथा–छोटी–छोटी दुकानें या अन्य सूक्ष्म व्यवसाय, गाय–बकरी एवं मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण तथा कृषि संबंधित गतिविधियों के अलावा स्थानीय तौर पर आजीविका के अनुरूप गतिविधियों से जोड़ा जाता है।

आजीविका गतिविधियों के चयन के मापदंड:

- कम पूंजी और अधिक लाभ।
- कम जोखिम।
- स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता।
- स्थानीय स्तर पर पर्याप्त मांग का होना, जिससे व्यवसाय सही तरीके से चल सके।
- लक्षित परिवार को पूर्व से किस प्रकार के काम का अनुभव।
- लक्षित परिवार को किस प्रकार के काम करने की योग्यता एवं दिलचस्पी है।

जीविकोपार्जन सूक्ष्म नियोजन के आधार पर लक्षित परिवारों हेतु आजीविका का चयन करने के साथ–साथ ग्राम संगठन के द्वारा आजीविका हेतु वित्त पोषण किया जाता है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत मूलत : तीन प्रकार की निधि उपलब्ध कराई जाती है–

1. जीविकोपार्जन निवेश निधि (एलआईएफ)
2. जीविकोपार्जन अंतराल सहायता राशि (एलजीएएफ)
3. विशेष निवेश निधि (एसआईएएफ)

जीविकोपार्जन निवेश निधि (एलआईएफ):

जीविकोपार्जन सूक्ष्म नियोजन एवं आजीविका के निर्धारण के उपरान्त जीविकोपार्जन गतिविधियों के फलीभूत होने तक विभिन्न निधि के तहत सहायता दी जाती है। जीविकोपार्जन सूक्ष्म नियोजन के आधार पर एवं आजीविका के निर्धारण के अनुरूप ग्राम संगठनों द्वारा लक्षित परिवारों को एकीकृत परिसंपत्ति के सृजन हेतु औसतन 60,000 रुपये से अधिकतम 1,00,000 रुपये तक की जीविकोपार्जन निवेश निधि (एलआईएफ) उपलब्ध कराई जा रही है। ग्राम संगठन द्वारा यह राशि दो से तीन किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है। प्रत्येक किस्त के लिए मांग का सूक्ष्म नियोजन तैयार किया जाता है, जिसका समयांतराल 6 से 9 माह होता है। दूसरी किस्त से कुल निवेश/लागत का 10 प्रतिशत लाभार्थी परिवार द्वारा व्यय किया जाएगा। जबकि 90 प्रतिशत हिस्सा ग्राम संगठन द्वारा अनुदान के रूप में लक्षित परिवार को दिया जाता है।

जीविकोपार्जन निवेश निधि का महत्व :

योजना के लाभार्थी परिवार को 3 किस्तों में 60,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक का जीविकोपार्जन निवेश वित्तपोषण किया जाता है। यह काफी अहम निधि है। इसी निधि से ग्राम संगठन द्वारा लाभार्थी को प्रारंभ में आजीविका संबंधी गतिविधि से जोड़ने के लिए एकीकृत परिसंपत्ति का निर्माण किया जाता है। इसके बाद ग्राम संगठन इसे लाभार्थी को हस्तांतरित कर देता है। इससे लाभार्थी परिवार को अपने जीवन को संवारने एवं सामाजिक तथा आर्थिक स्तर पर स्थायित्व लाने में मदद मिलती है।

शराब का दंश झेल चुकी सोनिया को मिला सहारा

सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड स्थित ग्वालपाड़ा पंचायत की रहने वाली सोनिया देवी शराब का दंश झेल चुकी है। उसके पति मिथिलेश ऋषिदेव मजदूरी करते थे। लेकिन मजदूरी के पैसे से वह शराब पी जाता था। इसी बीच, एक दिन शाम को शराब के नशे में घर लौटते वक्त दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। इससे सोनिया देवी के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शराब ने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया था। अब वह पूरी तरह बेसहारा हो गई थी।

सोनिया देवी की दयनीय स्थिति को देखते हुए उसका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना के लिए किया गया। इसके बाद योजना के विभिन्न मदों के तहत उसे कुल 37,000 रुपये दिए गए। इससे 25 दिसंबर 2019 को उसने किराना–सह–मनिहारा की दुकान शुरू की।

सोनिया देवी घर के पास किराना दुकान चलाती है जबकि वह नजदीक के भवानीपुर हाट में मनिहारा का दुकान भी लगाती है। इससे उसे औसतन 5 से 6 हजार रुपये की मासिक आय होने लगी है। उसकी दुकान की पूंजी बढ़कर अब 52,000 रुपये हो गई है। सोनिया देवी ने दुकान की आय से बकरियां खरीदी। इस समय उसे कुल 6 बकरियां है। साथ ही वह 10 कट्ठा जमीन पट्टे पर लेकर खेती भी करती है। सोनिया देवी के जीवन में छाया अंधेरा अब दूर होने लगा है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना से बदली जिन्दगी

शेखपुरा जिले के सदर प्रखण्ड के कोसरा गाँव की रहने वाली 34 वर्षीया सीता देवी के पति रविन्द्र राम देशी शराब के व्यवसाय में संलिप्त थे। क्या सुबह क्या शाम हर वक्त नशे में चूर रहने वाले उनके पति शराब के ही व्यवसाय पर आश्रित थे। बिहार सरकार के पूर्ण शराबबंदी के ऐलान के बाद शराब का व्यवसाय बंद कर दिया। जिसके बाद वे बेरोजगार हो गए और घर बैठने के बाद उनकी आर्थित स्थिति धीरे–धीरे खराब होती गयी जिसके कारण दोनों वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया था। सामुदायिक संसाधन सेवियों के प्रेरित करने से वर्ष 2016 में गणेश जीविका स्वयं सहायता समूह से जुडी और नयन जीविका महिला ग्राम संगठन की बैठक में सतत् जीविकोपार्जन योजना के बारे में जानकारी दी गयी जिसके फलस्वरूप इनका चयन किया गया। चयन होने के पश्चात सीता दीदी को ठेले पर सब्जी का दुकान लगवाकर रोजगार प्रारंभ कराया गया।

धीरे–धीरे सीता दीदी के जीवन में बदलाव आने लगा। पहले दोनों वक्त का भोजन मिलना मुश्किल था। अब दोनों वक्त का भरपूर पौष्टिक भोजन मिल रहा है। इसके पीछे स्वयं सीता दीदी की ही मेहनत का रंग देखने को मिला। दरअसल इन्होंने सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत ठेले पर सब्जी का दुकान लगा कर जो आमदनी कमाई उससे 10 कट्ठा खेत पट्टा पर लेकर सब्जी की खेती प्रारंभ कर दी और सब्जी बेचने के साथ–साथ उसका घरेलु उपयोग में भी लाने लगी। इसके साथ–साथ 14 हजार में एक गाय तथा 16 हजार में दो बकरी भी खरीदी। दीदी को जनवितरण प्रणाली से राशन भी उपलब्ध हो रहा है और अब गैस पर खाना बनाती है। सतत् जीविकोपार्जन योजना की मदद से सीता दीदी 12 हजार रुपये की मासिक आमदनी कर रही है और अब ये एक अच्छा दुकान खोलना चाहती हैं और पट्टे पर अधिक से अधिक खेती करना चाहती हैं।

सतत् जीविकोपार्जन योजना ने बदली रेणु देवी की किस्मत

रेणु देवी पति श्री बबन चौधरी ग्राम–माँझी, प्रखण्ड–माँझी, जिला–सारण की रहने वाली हैं। रेणु देवी एवं उनके पति ताड़ी बेचने का कार्य करती थे। बिहार सरकार द्वारा राज्य में पूर्ण मद्य निषेध की घोषणा की गई, तो रेणु देवी के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया। धीरे–धीरे रेणु देवी की पारिवारिक आर्थिक स्थिति काफी खराब होने लगी। रेणु देवी गाँव मे घर–घर जा कर बर्त्तन मांजने का काम करने लगी। पति दैनिक मजदूरी का काम करने लगे।

आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण उनका चयन 2019 में सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी के रूप में किया गया। सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ने के बाद रेणु देवी को विषेश निवेश निधि के रूप में 10 हजार, जीविकोपार्जन निवेश निधि के रूप में 20 हजार एवं जीविकोपार्जन अंतराल सहायता राशि के रूप में प्रतिमाह 1 हजार रूपये की दर से 7 माह तक कुल 7 हजार रूपया दिया गया। योजना से प्राप्त राशि की मदद से रेणु देवी ने फरवरी 2020 में किराना की दुकान अपने गाँव माँझी में खोल ली। शुरू में किराना दुकान नहीं चलने के कारण रेणु देवी का आत्म–विश्वास भी डगमगाने लगा। लेकिन धीरे–धीरे किराना की दुकान चलने लगी। किराना के दुकान से उनकी आय बढ़ने लगी। जिससे उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति में सुधार शुरू हो गया। दोनों पुत्र की पढ़ाई भी सुचारू रूप से होने लगी। रेणु देवी को वर्तमान में प्रतिमाह 4 से 5 हजार रूपये की औसतन आमदनी किराना के दुकान से हो रही है। उनके उत्पादक सम्पत्ति का मूल्य भी बढ़कर 45 हजार से ज्यादा हो गया है।

रेणु देवी काफी खुश रहने लगी हैं। उनकी खुशी का कारण उनके आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार है। रेणु देवी ने अपने बचत और समूह की मदद से अपने पति के लिए भी एक पुराना टेम्पू खरीद लिया है। अब इनके पति भी गाँव में अपना टेम्पू चलाकर महीने की औसतन 5 से 6 हजार रूपये की आमदनी कर लेते हैं।

सतत् जीविकोपार्जन योजना से उषा का जीवन बना खुशहाल

उषा देवी, पूर्वी चम्पारण के मेहसी प्रखण्ड के विशम्भरपुर गांव की निवासी है। उनके पति अनिल चौधरी ताड़ी का कारोबार करते थे। परन्तु ताड़ के पेड़ से गिरने से उनकी कमर टूट गई। काफी इलाज के बाद भी जान नहीं बचाया जा सका। पति के मृत्यु के बाद परिवार पुरी तरह बिखर गया।

उजाला जीविका ग्राम संगठन द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत लाभार्थी की चयन प्रक्रिया शुरू हुई। जिसमें उषा देवी का चयन लाभार्थी के रूप में हुआ। 2018 में लाभार्थी के रूप में जोड़ा गया और अगस्त 2019 को जीविकोपार्जन निवेश निधि के रूप में 20000 रू0 किराना दुकान के लिए दिया गया, साथ ही भरण पोषण हेतु 7 माह तक प्रति माह 1000 रू0 अंतराल राशि दी गयी। 10000 रू0 विशेष निवेश निधि से प्राप्त हुआ, जिससे उसने अपने घर की मरम्मत करवाई और दुकान का भी निर्माण किया। किराना दुकान से प्रतिदिन का 1000 – 1200 रू बिक्री होती है। उषा देवी ने अपनी दुकान की आय से बचत कर गाय भी खरीदी है। उषा देवी दुकान में सामान का भुगतान डिजिटल भुगतान के द्वारा भी प्राप्त करती है। दुकान की आमदनी से 30000 रू0 में जमीन लेकर खेती भी कर रही है। उषा देवी बैंक में भी बचत खाता खोली है और नियमित बचत कर रही है। उषा देवी सरकार की अन्य योजनाओं से भी लाभ ले रही है। दीदी के परिवार को नल जल योजना से स्वच्छ पानी मिल रहा है।

उषा देवी अपने बेटे और बेटी को अच्छी शिक्षा भी दे रही है। वह अपनी बचत और आमदनी को और बढ़ाना चाहती है। जिससे परिवार को अच्छा भविष्य प्रदान कर सके। उषा देवी कहती है कि जीविका के सहयोग से आज वह एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है।

एलजीएएफ :
ताकि नई आजीविका के फलीभूत होने तक जलता रहे गरीब दीदी के घर का चूल्हा

सतत् जीविकोपार्जन योजना अन्तर्गत तीन प्रकार की निधि उपलब्ध कराई जाती है। इसमें जीविकोपार्जन निवेश निधि, जीविकोपार्जन अंतराल निधि एवं विशेष निवेश निधि शामिल हैं।

जीविकोपार्जन निवेश निधि के तहत लाभार्थी परिवारों को 60 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक की राशि तीन किस्तों में दी जाती है। इससे आजीविका संबंधी गतिविधि प्रारंभ करने हेतु उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण में सहायता मिलती है। वहीं जीविकोपार्जन गतिविधियों के फलीभूत होने तक लक्षित परिवारों को ग्राम संगठन के माध्यम से जो वित्तीय सहातया उपलब्ध कराई जाती है उसे जीविकोपार्जन अंतराल सहायता राशि कहा जाता है। इसके तहत ग्राम संगठन द्वारा लक्षित परिवारों को सात महीने तक प्रति माह एक–एक हजार रुपये उपलब्ध कराई जाती है। यह राशि ग्राम संगठन के माध्यम से लक्षित परिवारों के व्यक्तिगत खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है। लक्षित परिवारों को यह राशि इसलिए दी जाती है ताकि शुरुआती दौर में व्यवसाय से होने वाली आय का उपयोग वह अपने घरेलू खर्च में इस्तेमाल ना कर व्यवसाय में निवेश करने कर सकें। साथ ही इस राशि से उन लक्षित परिवारों के मन में एक विश्वास भी पैदा करता है कि शुरुआती दौर में व्यवसाय के सफल संचालन होने तक उन्हें घरेलू खर्च पूरी करने में बाधाएं नहीं आएंगी। पहले महीने में राशि जारी करने के बाद ग्राम संगठन द्वारा लक्षित परिवारों की बैठक में उपस्थिति एवं इसकी समीक्षा की जाती है।

जीविका द्वारा प्रति लाभार्थी परिवार सात–सात हजार रुपये ग्राम संगठन को उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद ग्राम संगठन द्वारा मासिक बैठक में दीदियों की उपस्थिति में लाभान्वित परिवार को ये रुपये चेक या एनईएफटी के माध्यम से बैंक खाते में प्रति माह हजार–हजार रुपये लगातार सात माह तक अंतरित करता है। इसके बाद इससे जुड़ा उपयोगिता प्रमाणपत्र ग्राम संगठन को उपलब्ध कराया जाता है।

जीविकोपार्जन अंतराल सहयोग राशि का महत्व :

योजना के तहत लाभार्थी परिवार को जीविकोपार्जन अंतराल राशि इसलिए दी जाती है ताकि उन्हें अगले 7 महीने तक अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में परेशानी का सामना न करना पड़े। इससे व्यवसाय में लगी पूंजी खर्च न हो। साथ ही इस योजना से जुड़ने के पूर्व दीदी पहले जिस रोजगार से जुड़ी थी उसके बंद होने की स्थिति में भी उसके घर का चूल्हा जलता रहे। इससे व्यासाय के संचालन हेतु वे अपना पूरा ध्यान और समय दे पाएंगे।

विशेष निवेश निधि (एसआईएफ):

सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत जीविका द्वारा विशेष सहायता राशि के तौर पर 10,000 रुपये एक बार लक्षित परिवार को अपने आवश्यक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए दिया जाता है। यह राशि भी ग्राम संगठन के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में 10,000 रुपये का चेक या एनईएफटी के माध्यम से अंतरित की जाती है।

इस प्रकार परियोजना द्वारा समाज के अत्यंत गरीब परिवारों को न केवल आजीविका संबंधी गतिविधि के शुरू करने के लिए वित्त पोषित किया जाता है बल्कि आजीविका के सफल संचालन होने तक परिवार को लगातार आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है ताकि उन्हें अपने परिवार के पालन–पोषण में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो।

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी –कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री अजीत रंजन, राज्य परियोजना प्रबंधक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी –परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, समस्तीपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, पूर्णिया
- श्री बिप्लव सरकार – प्रबंधक संचार, कटिहार
- श्री विकास कुमार राव – प्रबंधक संचार, सुपौल
- श्री हिमांशु पाहवा – प्रबंधक गैर कृषि